राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन नहीं हुआ था। तथापि, 3 दिसम्बर, 1967 को नई दिल्ली में पांचवीं भारतीय सहकारी कांग्रेस के सहकारी आन्दोलन तथा स्वत: नियमन सम्बन्धी कार्यकारी दल की बैठक का उद्घाटन करते हुए मन्त्री महोदय ने कहा था कि वे सहकारी क्षेत्र में सरकारी नियन्त्रण को और अधिक कम करने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं उन पर विचार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों का एक लघु दल नियुक्त करेंगे। यह दल शीघ्र ही नियुक्त किया जाने वाला है।

सहकारिता आन्दोलन

4960. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या खाद्य, तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को सुझाव दिया था कि सहकारिता आन्दोलन को निहित स्वार्थों तथा राजनीति से मुक्त रखा जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ग) उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). इस उद्देश्य की पूर्ति के उपायों पर विचार किया जा रहा है।

सहकारी समितियों के पंजीयकों के विरुद्ध अपीलें

4961. **श्री ना० रा० पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि सहकारी समितियों के पंजीयकों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए व्यवस्था की जाए ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त सझाव पर अमल नहीं किया है;

(ग) क्या यह सच है कि कई राज्यों में पंजीयक उच्चतम अपीलीय अधिकारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था संविहित रूप से की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) सभी राज्यों के सहकारी कानून में पंजीयकों के आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार अथवा न्यायाधिकरण के पास अपीलों की सुनवाई के लिए व्यवस्था है। तथापि, असम में ऐसी अपीलें केवल कानून के प्रश्न पर और/अथवा समिति के भंग किए जाने की दशा में ही की जा सकती हैं।

(ग) तथा (घ). जिन मामलों में पंजीयक के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी करते हैं, उनमें अपील पंजीयक / न्यायाधिकरण के पास की जाती है। जिन मामलों में स्वयं पंजीयक द्वारा आदेश जारी किया जाता है, अपील उनमें राज्य सरकार / न्यायाधिकरण के पास की जाती है।

फसल ऋण व्यवस्था

4962. **श्री ना० रा० पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनमें रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार फसल-ऋण व्यवस्था पूर्णतया लागू की गई है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उसे पूर्णतया लागू नहीं किया गया है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने प्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने के सुझाव दिए हैं और उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं; और

(घ) भारत के रिज़र्व बक द्वारा उनके सुझावों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या** LT-2782/67]

(ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(ग) ऋण लौटाने की किस्तें आमतौर पर ऋण के प्रयोजन और ऋण से किए जाने वाले विकास से होने वाली निबल अतिरिक्त आय से रूप में ऋण लौटाने की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है, यद्यपि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जैसे कुछेक बैंकों में सभी प्रयोजनों के लिए ऋण की अवधि एक ही होती है।

(घ) इस प्रकार का कोई दृष्टांत सरकार की दृष्टि में नहीं आया है।

निर्वाचन याचिकाओं का निपटारा

4963. **श्री ना० रा० पाटिल** : क्या **विधि मन्त्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन याचिकाओं के निपटारों में इस कारण देरी होती है कि समय पर नोटिस न दिए जानें के कारण याचिकाओं की सुनवाई बार-बार अगली तारीख के लिए स्थगित कर दी जाती है; और

(ख) क्या वर्तमान विधि में समुचित संशोधन करके छः महीनों के अन्दर-अन्दर निर्वाचन यचिकाओं का निपटारा किए जानें के लिए अवधि निर्धारित करनें का विचार है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) इस विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि विधि के वर्तमान उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अर्जियों के लिए विचारण के उच्च-न्यायालय सीधे ही उत्तरदायी होते हैं।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86 की उप-धारा (7) के अलावा, जिसमें कि यह उपबन्ध है कि उच्च-न्यायालय अर्जी के उपस्थापन की तारीख से छः मास के भीतर अर्जियों के विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे इन निर्वाचन अर्जियों, के निपटाने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है क्योंकि वह विधि के अधीन नियत नहीं की जा सकती। न्यायालयों के विवेकाधिकार और उनकी स्वतन्त्रता को सविदित कारणों से इस तरह से बांधा और निबन्धित नहीं किया जा सकता। ऐसी अगणित यथार्थ परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें विचारण को छह मास की कालावधि के भीतर समाप्त करना सम्भव नहीं हो सकता और न वांछनीय ही हो सकता है।

Pay Scales of Telegraph Masters

4964. **SHRI K. P. SINGH DEO** : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a disparity in the pay scales of Telegraph Masters selected prior to 1958 and L.S.G. Telegraph Masters, whereas their duties in the Telegraph Offices are identical;

(b) if so, reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to remove this disparity ?